

8.1-19 पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरिडेन उपस्थित, तहसील मंडल से विभाजन स्कीम तैयार होकर प्राप्त हुई, जिसे जामिन फावली की गई, प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वारी का वाद पत्र स्वीकार किया जाने।  
 मैंने पत्रावली का अहलौकन किया तथा प्राप्त विभाजन स्कीम पर मनम किया। न्यायहित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वारी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिडी बहस वारी विक्रम उतिवदी सं. 4 से 04 के इस आराय की जारी की जाती है। तकि ग्राम चांदरास पटवार हल्का चांदरास तहसील मंडल जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नोक्ति आराजियात महमति आपसी विभाजन अनुसार वारी एवं उतिवदी सं. 1 से 4 के नाम हिस्से अनुसार रजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार वारी एवं उतिवदी गज संख्या 1 से 4 के नाम हिस्से अनुसार रजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे।

1. भगवती लाल मु० मेना, बजरंग, सम्पत पिता मोहन लाल ब्राह्मण चांदमल पिता कंवरलाल जैन महजन सा.देह खातेदार निवासी चांदरास तहसील मंडल

खाता सं.	आराजी सं.	रकबा
849	1577	0.03 चाह

1577 रकबा 0.03 चाह

2. श्री सत्यनारायण, बालमुकुन्द पिता गोपीलाल ब्राह्मण (पारीक) सा.देह खातेदार निवासी चांदरास तहसील मंडल

खाता सं.	आराजी सं.	रकबा
850	650	0.05
	651	0.07
	660	4.01
	2338/660	0.09

किता 0.5 रकबा 5.02 बीघा

उपखण्ड अधिकारी  
 मंडल जिला भीलवाड़ा

3. श्री बजरंग प्रसाद सम्पत लाल पिता मोहन ब्राह्मण (पारीक) सा.देह खातेदार निवासी चांदरास तहसील मंडल

खाता सं.	आराजी सं.	रकबा
850	649	1.04
	655	0.05
	2338/660	1.00
	1576	0.12

कुल किता 0.4 रकबा 3.01 बीघा

श्री भगवती लाल मु० मेना ब्राह्मण (पारीक) सा.देह खातेदार निवासी चांदरास तहसील मंडल रहन P.N.B बागोर

खाता सं.	आराजी सं.	रकबा
850	644	0.10
	647	1.01
	252	0.06
	1576/1	0.11
	2338/660/2	0.12

कुल किता 0.5 रकबा 3.00 बीघा

4. श्री सत्यनारायण, बालमुकुन्द पिता गोपीलाल  $\frac{1}{4}$ , भगवती लाल मु० मेना  $\frac{1}{8}$ , बजरंग प्रसाद, सम्पत लाल पिता मोहन ब्राह्मण  $\frac{1}{8}$ , शंकरलाल पिता भैरवलाल ब्राह्मण (पारीक)  $\frac{1}{2}$  सा.देह खातेदार निवासी चांदरास तहसील मंडल

खाता सं.	आराजी सं.	रकबा
121	652	0.08 जे. मु० चाह

किता कुल 0.1 रकबा 0.08 जे० मु० चाह


उपखण्ड अधिकारी  
 मंडल जिला भीलवाड़ा

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
में जा

उक्तानुसार भूमि वार्दी एवं पुतिवादीगण सेरव्या ०५ से ०५ के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। शर्चा - फरिफेन अपना-अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रवर्ती फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दारखिल हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

अज अदालत  
दईजला

श्री सत्यनारायण  
हाल सितासी  
कोल्हापुर

श्री बालमुकु  
तुलजा  
श्री भगवती  
श्री मोह  
श्री चां  
श्रीमान

वाद  
यह  
मिन  
दिय

व  
प

①